# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 339/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

### 01.थाना- मेंहनगरः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

***पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-***

अवगत कराना है कि दिनांक- 14.09.25 को वादिनी मुकदमा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 12.9.25 को समय करीब 11 बजे दिन को विपक्षी चन्दन कुमार पुत्र धर्मेन्द्र राम ग्राम बासगांव थाना तरवा आजमगढ द्वारा वादिनी की पुत्री शादी का झासा दे कर बहला फुसला कर भगा ले गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435/25 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....**

दिनांक 16.09.25 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विद्यानन्द उर्फ चन्दन कुमार S/O धर्मेन्द्र राम R/O बासगांव थाना तरवा आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

1-विद्यानन्द उर्फ चन्दन कुमार S/O धर्मेन्द्र राम R/O बासगांव थाना तरवा आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोग –**

1-मु0अ0सं0 435/25 धारा 137(2)/87 BNS थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1-उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह का0 रामबाबू , म0का0 दीक्षा मिश्रा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

## 02.थाना जहानागंज: प्रतिबंधित पशु के साथ 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस व 03 मोटरसाइकिल बरामद।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

अवगत कराना है कि दिनांक 15/09/25 को व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव व उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अमदही गांव के पास स्थित बगीचे के पास बंद पड़े स्कूल से 04 अभियुक्तों 1. राजन कुमार उर्फ मुक्का पुत्र करिया नोना निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष, 2. बच्चन नोना पुत्र करिया नोना निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष, 3. राहुल नोना पुत्र राजेन्द्र नोना निवासी असाऊर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष व 4. राजू कुमार पुत्र श्यामबली निवासी धर्मदासपुर ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष को 01 प्रतिबंधित पशु, एक अदद चापड़ लोहे का, एक अदद ठीहा लकड़ी का, एक अदद पीढ़ा लकड़ी, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 03 मोटरसाइकिल के साथ समय करीब 23.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग—**

1- मु0अ0सं0 290/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

**गिरफ्तार अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास-**

1. राजन कुमार उर्फ मुक्का पुत्र करिया नोना निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

a. मु0अ0सं0 61/2020 धारा 307/34 भादवि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

b. मु0अ0सं0 121/2020 धारा 304/323/504 भादवि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

c. मु0अ0सं0 16/2021 धारा 307 भादवि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

d. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

2. बच्चन नोना पुत्र करिया नोना निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

3. राहुल नोना पुत्र राजेन्द्र नोना निवासी असाऊर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

4. राजू कुमार पुत्र श्यामबली निवासी धर्मदासपुर ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष

a. मु0अ0सं0 16/2021 धारा 307 भादवि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

b. मु0अ0सं0 17/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़-

**बरामदगी**:-

1- एक अदद गौवंश बछड़ा

2- एक अदद चापड़ लोहे का, एक अदद ठीहा लकड़ी का, एक अदद पीढ़ा लकड़ी

3- एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

4- एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर व दो अदद मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव, उ0नि0 शिवम त्यागी, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह कांस्टेबल श्री प्रकाश सिंह, का0 अखिलेश यादव, कांस्टेबल कौशल शर्मा व का0 विनोद प्रजापति मय थाना जहानागंज आजमगढ़

**03.थाना- सिधारीः दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।**

**पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक 05.07.2025 को वादी मुकदमा अजीत कुमार पाठक पुत्र श्यामनरायन पाठक सा0 रसूलपुर बरुवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना दिया कि विपक्षी 1. कुलदीप तिवारी, 2. श्यामसुन्दर, 3. संदीप तिवारी पुत्रगण अज्ञात पता ग्राम बसही बन्देदासपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन एकता तिवारी उम्र करीब 25 को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़िता करना, गाली गुप्ता देना, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देकर जहर खिलाकर मार दिया गया, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 333/2025 धारा- 80/85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. कुलदीप तिवारी, 2. श्यामसुन्दर, 3. संदीप तिवारी पुत्रगण अज्ञात पता ग्राम बसही बन्देदासपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-**

आज दिनांक 16.09.2025 को उ0नि0 संतोष वर्मा मय हमराह द्वारा भदुली ओवरब्रिज पानी की टंकी के पास बह्दग्राम भदुली से अभियुक्त कुलदीप तिवारी पुत्र रामाश्रय तिवारी निवासी बसही बन्देदासपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को समय 06.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -**

1-कुलदीप तिवारी पुत्र रामाश्रय तिवारी निवासी बसही बन्देदासपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 333/2025 धारा- 80/85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 संतोष वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़
2. कान्स0 दीवानचन्द थाना सिधारी आजमगढ़
3. कान्स0 प्रभाकर सहाय गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़
4. कान्स0 सतीश बघेल थाना सिधारी आजमगढ़

**04.थाना – जहानागंजः त्रुटिवश फोन के माध्यम से दुसरे खाते में स्थानान्तरित 99,990 रूपयें आवेदक के खाते में वापस।**

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 29.07.2025 को आवेदक अरविन्द यादव पुत्र बालचंद्र यादव ने 10:47 A.M. पर अपने मोबाइल नंबर 94151xxxx से फोन पे द्वारा गलतिपूर्वक अजय कुमार पुत्र राजेश महतो निवासी फागो कुशमाहा देवघर झारखण्ड 815353 के मोबाइल नंबर 934191xxxx पर 99,990/- रुपए भेज दिए थे। तब प्रार्थी ने उसी दिन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई जिस पर कार्यवाही होकर जिसके खाते में पैसा गलत तरीके से ट्रांसफर हो गया था उसे होल्ड कर दिया गया था।

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा 99,990/- रूपये आवेदक के खाते में दिनांक 15.09.2025 को वापस करा दिया गया।

**साइबर पुलिस टीमः-**

1.थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार मिश्रा उ0नि0 श्री राहुल कुमार उ0नि0 श्री विनय कुमार साइबर टीम जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

**05.थाना- कप्तानगंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।**

**पूर्व की घटना/इतिहास–**

दिनांक 14.08.25 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया दिनाँक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को लगभग 1 बजे दोपहर को वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की अपनी मोबाइल से अपनी चाची से किसी सहेली से फोन से बात करायी व घर पर बतायी की अपनी सहेली से मिलने कप्तानगंज जा रही हूँ जिसके बाद वह घर वापस नही आयी, के सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0स0 238/2025 धारा- 137(2) BNS बनाम अज्ञात थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग की विवेचना वरिष्ठ उ0नि0विजय सिंह गौड़ द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान पीड़िता/ अपहता को दिनांक 14.09.2025 को बरामद किया जा चुका है।

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–**

आज दिनांक 16.09.25 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदम उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभुदयाल पुत्र रमेशचन्द्र निवासी परसारा थाना चन्दपा जनपद हाथरस उम्र 20 वर्ष को जेहरापिपरी तिराहे से समय करीब 21.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 238/25 धारा 137(2).64 बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

1- प्रभुदयाल पुत्र रमेशचन्द्र निवासी परसारा थाना चन्दपा जनपद हाथरस उम्र 20 वर्ष

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1. व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 श्रवण शुक्ला थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

## 06. थाना मुबारकपुरः अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

**गिरफ्तारी का विवरणः-**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 अश्विनी मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम पिचरी की तरफ से मुबारकपुर से एक व्यक्ति शमशाद पुत्र इकबाल निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 के साथ समय करीब 03.37 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 409/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

**बरामदगी का विवरणः-**

1-एक अदद तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1-शमशाद पुत्र इकबाल निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोगः-**

1-मु0अ0सं0 409/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

**आपराधिक इतिहासः-**

•मु0अ0सं0 409/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
•मु0अ0सं0 195/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधिनियम थाना मुबारकपुर
•मु0अ0सं0 319/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1-उ0नि0 अश्विनी मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

## 07. थाना मुबारकपुरः किशोरी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटनाः-**

दिनांक 11.09.2025 को वादी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी मुकदमा की पुत्री दिनांक 10.09.2025 को भोर मे समय लगभग 04 बजे कही चली गयी है वादी को शंका है कि सोनम पत्नी विजय, माधुरी पत्नी रामाश्रय व पंकज पुत्र अज्ञात ने मिलकर भगाया है के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 406/2025 धारा 87 BNS बनाम सोनम पत्नी विजय निवासिनी ग्राम सलारपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 सतीश कुमार थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा की जा रही है विवेचना से पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 BNSS के अवलोकन से अभियुक्त रतन कुमार पुत्र सत्यवीर निवासी इमिलिया थाना सहावर जिला कासगंज का नाम प्रकाश मे आया तथा धारा 137(2),64 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरणः-**

दिनांक 16.09.2025 को उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रतन कुमार पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम इमलिया थाना सहावर जनपद कासगंज उम्र करीब 23 वर्ष को समय 10.15 बजे अशरफिया यूनिवर्सिटी के सामने से हिरासत पुलिस मे लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- रतन कुमार पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम इमलिया थाना सहावर जनपद कासगंज

**पंजीकृत अभियोगः-**

1-मु0अ0सं0 402/25 धारा 137(2),87,64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहासः-**

1- मु0अ0सं0 402/25 धारा 137(2),87,64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1-उ0नि0 श्री सतीश कुमार मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

## 08. थाना रौनापारः डिजिटल अरेस्ट कर साइबर फ्राड के 10,000/- रूपये आवेदक के खातें में वापस कराया गया

**घटना का विवरण-**

आवेदक रविकान्त चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी सेठाकोली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पेशे से अध्यापक है। दिनांक 26.09.24 को आवेदक के विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास फोन आया की आप के बेटा रेप केस मे फंस गया है आप अगर पैस भेज देंगे तो आपका बेटा बच जायेगा। फिर प्रधानाचार्य द्वारा आवेदक से कह कर फ्राडस्टर द्वारा दिये गये मो0नं0 पर आवेदक से 10000/- रुपये भेज दिया गया। जब आवेदक को ज्ञात हुआ के प्रधानाचार्य के साथ साईबर फ्राड हुआ है तो आवेदक द्वारा दिनांक 26.09.24 को 1930 पर फोन करके शिकायत नं0 331092401xxxx दर्ज कराया गया।

**बरामदगी का विवरणः-**

आवेदक रविकान्त चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी सेठाकोली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा साईबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 3310924012xxx दर्ज कराया गया कि उनके साथ कुल 10,000/- रुपये का साईबर फ्राड हुआ है। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा आवेदक का पैसा Bank of Maharashtra मे होल्ड कर दिया गया। पैसा होल्ड होने के उपरान्त मा0 न्यायालय से पैसा वापस कराने हेतु कोर्ट आर्डर प्राप्त किया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए आवेदक का पैसा आवेदक के खाते मे दिनांक 15.09.25 को वापस कर दिया गया।

**पुलिस टीम का विवरणः-**

1-साईबर टीम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**09.थाना – अहरौला: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।**

**पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक 09.09.2025 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी कमलेश राजभर पुत्र नरेश राजभर नि0 रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 327/2025 धारा 87 BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 उदयशंकर तिवारी द्वारा की जा रही थी तथा धारा 69 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 16.09.2025 को उ0नि0 उदय शंकर तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वान्छित अभियुक्त कमलेश राजभर पुत्र नरेश राजभर नि0 रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को मंगारीपुर नहर पुलिया सड़क किनारे से समय करीब 08.40 बजे हमराही की मदद से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-कमलेश राजभर पुत्र नरेश राजभर नि0 रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 327/2025 धारा 87/69 BNS थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. उ0नि0 उदय शंकर तिवारी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**10.थाना- रानी की सराय: किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-**

दिनाँक 15.09.2025 को वादिनी मुकदमा थाना रानी की सराय जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि थाना रानी की सराय के 02 बाल अपचारियों द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को अपने वाहन पर बैठाकर होटल में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया, जिससे छुब्ध होकर वादिनी की पुत्री द्वारा आत्म हत्या का प्रयास किया गया, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 284/25 धारा 140(4), 70, 123, 108, 61(2) 127(2) बीएनएस व 5(G)/6 पास्को एक्ट बनाम 02 बाल अपचारी थाना रानी की सराय व होटल वाला अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

**पुलिस अभिरक्षा का विवरण-**

दिनांक- 16.09.2025 को व0उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 बाल अपचारी को सोनवारा मोड से समय करीब 11.10 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.09.2025 जनपद आजमगढ़**

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप में **जेल मे बितायी गयी अवधि 3 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** ।

**थाना बिलरियागंज अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 22.12.2008 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री तेज प्रताप सिंह थाना बिलरियांगज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त **विजय उर्फ पप्पू राय पुत्र भगवान राय निवासी ग्राम श्रीनगर (सियरहा) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़** के कब्जे से 296 डायजापाम की गोली बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियांगज पर मु0अ0सं0- 975/2008 धारा-8/21/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 16.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- 3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त विजय उर्फ पप्पू राय पुत्र भगवान राय निवासी ग्राम श्रीनगर (सियरहा) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 3 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

## प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में **2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**थाना सिधारीः गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक-**18.08.1997** को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री राजनरायन सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त **सीताराम पुत्र स्व0 रामहित निवासी तमौली थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु **अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-133/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-16.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **सीताराम पुत्र स्व0 रामहित निवासी तमौली थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास व को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**